Vidhyanand Paswan Vs. Titu Sah and others

02.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादी की द्वारा अधिवक्ता पैरवी है। पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 06.06.2025 को दाखिल किया गया था। अतः स्पष्ट है कि यह आपराधिक परिवाद छः माह से अधिक पुराना है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं रंजन कुमार, संजय यादव एवं अरूण कुमार यादव का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी विद्यानन्द पासवान का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक 5.10.2024 को अभियुक्त तीतु साह के पास 20 भर चांदी का जेवर और 5 ग्राम चांदी का कानवाली गिरवी रखकर 30 हजार रूपया 2 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लिया था। 8 माह बाद वह अरूण यादव के साथ कर्ज का पैसा 30 हजार एवं सूद समेत रूपया लेकर जेवर छुड़ाने तीतु साह के घर गया और उससे जेवर वापस मांगा। तीतु साह बोला कि जेवर सुरक्षा के लिये चकाई बाजार रख दिये है, एक सप्ताह बाद देगें। एक सप्ताह पर जब अभियुक्तगण के घर जाकर जेवर का मांग किया तो सभी अभियुक्तगण साला, मादरचोद, दुसाध, जेवर नही देगें कहकर गाली गलौज करने लगे और लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगा।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं रंजन कुमार, संजय यादव एवं अरूण कुमार यादव का साक्ष्य करवाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने परिवाद पत्र (Complaint) के जवाब में लिखित रूप से कथन किया है कि परिवाद पत्र मनगढ़त एवं झूठा है। अभियोगी एवं अभियुक्त अलग–अलग राज्य के रहने वाले है तथा एक दूसरे को पहचानते नही है। सही बात यह है कि परिवाद पत्र (Complaint petition) के साक्षी मुरारी यादव एवं रूपलाल यादव से अभियुक्तगण का जमीनी विवाद है तथा भूमि विवाद के कारण इस परिवाद पत्र के अभियुक्तो ने इस

परिवाद पत्र के साक्षी मुरारी एवं रूपलाल यादव के विरूद्ध बिचकोड़वा थाना काण्ड संख्या 19/2025 दिनांक 26.04.2025 एवं आपराधिक परिवाद 1134सी/24 किया है। मुरारी यादव एवं रूपलाल यादव के बहकावे पर यह झूठा मुकदमा किया गया है। **परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान मे न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि उधार लेने एवं गहने रखने का कोई कागज नही बना था। यह लेन देन मौखिक रूप से हुआ था। मेरे विचार से यह तथ्य मामले में गम्भीर संदेह पैदा करता है। क्योंकि जेवर एवं रूपयों का लेन–देन बिना लिखा पढ़ी के हो, जबकि कथित रूप से अभियुक्त इसका कारोबार करता हो।** जांच साक्षी संख्या 1 रंजन कुमार पिता रूपलाल यादव ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि वह परिवादी विद्यानंद पासवान को नही जानता है। उसका यह भी कथन है कि आज न्यायालय में परिवादी नही आया है। वह आज कोर्ट में पहली बार आया है। आज उसके साथ कोई नही आया है। उसे परिवादी ने न्यायालय का नाम नही बताया था। उसे वकील साहेब का नाम बताया था। उसने कहा है कि ऐसा नही है कि यह मुकदमा उसने करवाया है। जांच साक्षी संख्या 2 संजय यादव ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि मामला तितु साह की दुकान का है। तितु साह के बाल–बच्चे घर में रहते है। मामला दुकान का था तथा बाल–बच्चे घर में रहते थे तो तीतू साह के बच्चे, पत्नी घटना में कथित रूप से शामिल हो गये। मेरे विचार से मामला गम्भीर संदेह से युक्त है तथा दुर्भावना युक्त प्रतीत होता है। मेरे विचार से मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता हे। अतः यह आपराधिक परिवाद **अस्वीकृत** किया जाता हैं।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।